कार्यालय, उ0प्र0,लोक सेवा आयोग
संख्या– 177/01/डी०आर०/एस–12/2025–26
प्रयागराजः दिनांक– 25 अगस्त, 2026

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन सं0–A-11/E-1/2025, **दिनांक 02.12.2025** के अतंर्गत विज्ञापित उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा–2025, **दिनांक 06 सितम्बर, 2026 (रविवार) को दो सत्रों में (पूर्वाह्न 9:00 बजे से 11:30 बजे तक व अपराह्न 2:30 बजे से 5:00 बजे) प्रदेश के** 06 जनपदों यथाः– लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी व मेरठ में आयोजित की जानी है। उक्त परीक्षा में व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण/कर्मशाला अधीक्षक, व्याख्याता केमिकल अभियंत्रण, व्याख्याता पेंट टेक्नालॉजी, व्याख्याता प्लास्टिक मोल्ड टेक्नालॉजी, व्याख्याता टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, व्याख्याता फुटवियर, व्याख्याता टेक्सटाइल केमेस्ट्री, व्याख्याता लेदर टेक्नोलॉजी, व्याख्याता इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड कंट्रोल एवं व्याख्याता वास्तुकला (आर्कीटेक्चर) की परीक्षा लखनऊ जनपद में, व्याख्याता सिविल अभियंत्रण की परीक्षा गोरखपुर जनपद में, व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण एवं व्याख्याता भौतिकी की परीक्षा प्रयागराज जनपद में, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण एवं व्याख्याता गणित की परीक्षा वाराणसी जनपद में, व्याख्याता कम्प्यूटर की परीक्षा मेरठ जनपद में तथा व्याख्याता अंग्रेजी एवं व्याख्याता रसायन की परीक्षा कानपुर नगर जनपद में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होनी है।

परीक्षा तिथि 06.09.2026 (रविवार)	
प्रथम सत्र **पूर्वाह्नः 09:00 बजे से 11:30 बजे तक** **(2.30 घण्टा)**	**द्वितीय सत्र** **अपराह्नः 02:30 बजे से 05:00 बजे तक** **(2.30 घण्टा)**
सामान्य हिन्दी मुख्य विषय–।	सामान्य अध्ययन मुख्य विषय–।।

02–प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र आयोग की **वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in** पर दिनांक 25.08.2026 से उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपने ओ0टी0आर0 नम्बर के द्वारा प्रवेश–पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, **प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई0डी0प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा कक्ष में अन्तरीक्षक को आई0डी0प्रूफ0 की एक छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।**

03– उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि ''परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने

का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।

(अनुपम मिश्रा)
उप सचिव।